

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आर्यपुस

प्रकरण सं० : 107/2021

- देवीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।


:- वादी

व न म

- सुलतान पुत्र धारु जाति निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- मोहरसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- वंशीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- वेदप्रकाश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- सुभाष पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- प्रभावती पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव भादरा। :-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिंहाण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहीताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 364/345 के खसरा सं० 443/1 की 5.058है० कुल 5.058है० में प्रतिवादी सं० 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोही मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं० 134/127 के खसरा सं० 22 की 6.373है० खसरा सं० 145 की 7.638है० खसरा सं० 153 की 12.000है० कुल 26.011है० में प्रतिवादी सं० 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं० 1 सुलतान का नाम कलमजान किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं० 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देवीलाल, प्रतिवादी सं० 2 मोहरसिंह प्रतिवादी सं० 3 वंशीलाल, प्रतिवादी सं० 4 वेदप्रकाश, प्रतिवादी सं० 5 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.6.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक)
(सत्यनारायण आर्यपुस)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 107/2021

1. देवीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।

:- वादी

ब न अ म

1. सुलतान पुत्र धारु जाति निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
2. मोहरसिंह पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
3. बंशीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
4. वेदप्रकाश पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
5. सुभाष पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
6. प्रभावती पुत्री सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा त० भादरा हाल आबाद खिनानिया त० व जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा आबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

वकील श्री रोहीताश शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 25.6.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं० 364/345 के खसरा सं० 443/1 की 5.058है० कुल 5.058है० में प्रतिवादी सं० 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोही मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं० 134/127 के खसरा सं० 22 की 6.373है० खसरा सं० 145 की 7.6380है० खसरा सं० 153 की 12.000है० कुल 26.011है० में प्रतिवादी सं० 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा धारु की खातेदारी हुआ करती थी। धारु के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 सुलतान ने कर्ता खानदान होने के नाते ही अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केरीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 07 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।


साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 देवीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मुन्दडियाछोटा द्वारा सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रासलाना प्रदर्श 2 जमाबंदी भूपबन्धक विभाग प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 4 व जमाबंदी भूपबन्धन विभाग मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही रासलाना व मुन्दडियाछोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि सदस्यप्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही रासलाना प्रदर्श 2 जमाबंदी भूपबन्धक विभाग प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 4 व जमाबंदी भूपबन्धन विभाग मुन्दडियाछोटा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 ता 5 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार सुलतान के देवीलाल, मोहरसिंह, बंशीलाल, वेदप्रकाश, सुभाष व एक पुत्री प्रभावती तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 ता 6 जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं 0 1 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश


अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं 0 364/345 के खसरा सं 0 443/1 की 5.058 है 0 कुल 5.058 है 0 में प्रतिवादी सं 0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार रोह 'मौजा मुन्दडियाछोटा के खाता सं 0 1 के खसरा सं 0 22 की 6.373 है 0 खसरा सं 0 145 की 7.6380 है 0 खसरा सं 0 12.000 है 0 कुल 26.011 है 0 में प्रतिवादी सं 0 1 सुलतान के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं 0 1 सुलतान का नाम कलमजुन किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी सं 0 2 ता 5 को वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 0 1 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा




28
सहायक वकील
(फास्ट ट्रेक्टर)

प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी देवीलाल, प्रतिवादी सं० 2 मोहरसिंह प्रतिवादी सं० 3 वंशीलाल, प्रतिवादी सं० 4 वेदप्रकाश, प्रतिवादी सं० 5 सुभाष को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.6.21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर एवं कानून मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़